कार्यालय : अंचल अधिकारी, बालूमाथ।

आदेश पत्रक

[आदेश] पत्रक – ता० ओहन बेक बनाम से जयराम बेक तक

[अंच]ल – बालूमाथ जिला– लातेहार   वाद संख्या– 26 /2022–23

[व]ाद का प्रकार — विविध वाद

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
18.10.2022	आवेदक ओहन बेक पिता बिरसा उराँव ग्राम - बारा पो० - मारंगलोइया थाना - बालूमाथ के द्वारा आवेदन दिया गया है कि मौजा - बारा खाता नं० 76 प्लॉट नं० 980 रकबा 4 डीसमिल के अपने हिस्से की भूमि पर गृह निर्माण कार्य करने से जयराम बेक पिता स्व. करमा उराँव द्वारा रोक दिया गया है। न्याय हेतु आवेदन के आलोक में वाद की कारवाई प्रारम्भ की जाती है। उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें। उभय पक्ष अपने - अपने साक्ष्य कागजातों के साथ वाद की अगली तिथि को उपस्थित रहेंगे। अभिलेख दिनांक 28.10.22 को उपस्थापित करें। 18.10.22 अंचल अधिकारी बालूमाथ	

Scanned with CamScanner

कार्यालय : अंचल अधिकारी, बालूमाथ।

आदेश पत्रक

------------ से ------------

वाद संख्या– 26 /2022-23

आदेश पत्रक – ता०

अंचल – बालूमाथ जिला– लातेहार

वाद का प्रकार – विविध वाद

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3
28.10.22	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। अधोहस्ताक्षरी के अन्य सरकारी कार्य में व्यस्त रहने के कारण वाद की सुनवाई नहीं हो सकी। अभिलेख दिनांक 07.11.2022 को उपस्थापित करें। (हस्ताक्षर) 28.10.22 अंचल अधिकारी बालूमाथ	
07.11.2022	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। प्रथम पक्षकार का कहना है कि मौजा-लाटा, खाता-76 कुल रकबा-10.64 ए० भूमि में मेरा 1/3 हिस्सा प्राप्त है। उस भूमि की प्लाट-980 में आवास बना रहा हूँ लेकिन मेरा गोतिया जो 1/3 हिस्सा का मालिक है, काम पर रोक लगा रहा है। द्वितीय पक्षकार पन्टोम बैक का कहना है कि मेरा गोतिया Non-held की भूमि Agreement करा रहे हैं। वाद को दिनांक 7.12.22 को आदेश हेतु रखें। (हस्ताक्षर) 7.11.22 अंचल अधिकारी, बालूमाथ	

Scanned with CamScanner

	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
	2	3
	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित अधोहस्ताक्षरी के अन्य सरकारी कार्य में व्यस्त रहने के कारण वाद की सुनवाई नहीं हो सकी। अभिलेख दिनांक 13.12.2022 को उपस्थापित करें। 7.12.22 अंचल अधिकारी बालूमाथ	
13.12.2022	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष तबियत खराब रहने के कारण मौखिक उपस्थिति में असमर्थता एवं समय का मांग किये हैं। अभिलेख दिनांक 24.12.22 को उपस्थापित करें। 13.12.22 अंचल अधिकारी बालूमाथ	

Scanned with CamScanner

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2
04-12-22	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। ~~द्वि~~ प्रथम पक्ष का कहना है की हम हम अपने हिस्से की भूमि पर घर बना रहे है जो हमारा चचेरा भाई जगदीश बेक बाधा उत्पन्न कर रहे है तो प्रथम पक्ष को नोटिस है। अभिलेख दिनांक 6.1.23 को हो। 04.12.22 अंचल अधिकारी बालूमाथ
6-1-2023	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित उभय पक्षकारों में प्रथम पक्षकार का कहना है की हम अपने हिस्से की भूमि पर घर बना रहे है है। द्वितीय पक्षकार का कहना है की मुझे संभावना है की मेरे भाई अपनी भूमि किसी ~~[illegible]~~ Non-Tribe को दे सकते है। चूंकि यह भूमि CNT से प्रभावित है इसलिए इसका क्रय विक्रय नहीं हो सकता है। इस बात से उभय पक्षकारों की बातों को ध्यानपूर्वक सुना। अभिलेख दिनांक 16.1.23 को आदेश ~~[illegible]~~ हेतु हो। 6.1.23 अंचल अधिकारी

नोटिस प्राप्त किया।

	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
	2	3
…023	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। अधोहस्ताक्षरी के अन्य सरकारी कार्य में व्यस्त रहने के कारण वाद की सुनवाई नहीं हो सकी। अभिलेख दिनांक 20.01.2023 को उपस्थापित करें। 16.1.23 अंचल अधिकारी [illegible]	
20.01.23	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष की तबीयत खराब रहने के कारण भौतिक उपस्थिति से असमर्थता आवेदन पत्र प्राप्त है। पदाधिकारी के अन्य सरकारी कार्य में व्यस्त रहने के कारण वाद की सुनवाई नहीं हो सकी। अभिलेख दिनांक 28.2.23 को उपस्थापित करें। अंचल अधिकारी [illegible]	

Scanned with CamScanner

कार्यालय : अंचल अधिकारी, बालूमाथ।

आदेश पत्रक

आदेश पत्रक – ता० -- से -- तक

अंचल – बालूमाथ, जिला – लातेहार **विविध वाद सं०– 26/2022–23**

केस का प्रकार– **जोहन बेक बनाम जेरोम बेक**

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
28.01.2023	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। इस वाद में पूर्व से आदेश की तिथि निर्धारित है। नोटिस उभय पक्ष को पूर्व में निर्गत है। प्रथम पक्षकार जोहन बेक पिता विरसा उरांव ग्राम बारा थाना बालूमाथ का कहना है कि मौजा बारा के खाता नं0 76 प्लॉट नं0-980 रकबा 41 डी0 पर एक तिहार में मै अपने हिस्से में दखल कब्जे में हूं एवं गृह निर्माण करना चाहता हूँ। जिसमें द्वितीय पक्ष जेरोम बेक जो मेरे चचेरे भाई द्वारा मकान निर्माण में बाधा उत्पन्न किया जा रहा है। मुझे गृह निर्माण हेतु आदेशित किया जाय। जबकि अपने हिस्से की भूमि पर जेरोम बेक पूर्व में ही निर्माण कर चुके है। द्वितीय पक्षकार जेरोम बेक पिता करमा उरांव ग्राम बारा का कहना है कि मौजा बारा के खाता संख्या 76 प्लॉट संख्या-980 की भूमि को गैर आदिवासी व्यक्ति को भूमि का एग्रीमेंट करना चाहते है। जबकि आदिवासी श्रेणी की भूमि को गैर आदिवासी व्यक्ति को बेचना सी0एन0टी0 एक्ट की विभिन्न धाराओं का उल्लंघन है। CNT Act 46 (1-B) के तहत स्व-जाति, एक राजस्व थाना के निवासियों के साथ भूमि बिक्री या एग्रीमेंट किया जा सकता है। उभय पक्षकारों के बातों एवं तर्कों तथा साक्ष्यों का गहराई से अवलोकन किया। सभी साक्ष्यों को देखते हुए निम्न तथ्य सामने आये है:- 1) प्रश्नगत भूमि आदिवासी खाते से संबंधित है जिसकी बिक्री या एग्रीमेंट गैर आदिवासी के साथ नहीं की जा सकती है। CNT Act 46 (1-B) के	

Scanned with CamScanner

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

तहत स्व-जाति, एक राजस्व थाना के निवासियों के साथ भूमि बिक्री या एग्रीमेंट किया जा सकता है।

2) द्वितीय पक्षकार का आरोप गैर आदिवासी के साथ भूमि एग्रीमेंट करना निराधार है।

3) ऑनलाईन आर0एस0 खतियान एवं पंजी-II के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि की बिक्री नहीं की गई है। भूमि सी0एन0टी0 एक्ट से अच्छादित है।

4) भूमि की बिक्री एक राजस्व थाना के आदिवासी समुदाय को करने के पूर्व उपायुक्त न्यायालय से परमिशन की आवश्यकता होती है।

उपर्युक्त सभी तथ्यों एवं उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन के से स्पष्ट है कि यदि कोई आदिवासी भूमि गैर आदिवासी के साथ भूमि बिक्री करता है तो सीएनटी ऐक्ट का उल्लंघन माना जाएगा। इस वाद में अभी तक प्रथम पक्षकार के द्वारा किसी भी व्यक्ति को भूमि का बिक्री नहीं किया है। द्वितीय पक्ष मात्र ऐसा संभावना व्यक्त कर रहे है कि उनके भाई (प्रथम पक्षकार) के द्वारा किसी दूसरे को बिक्री की जाएगी।

अतः सी0एन0टी0 से अच्छादित भूमि को किसी गैर आदिवासी को बिक्री करने पर पूर्णतः प्रतिबंध है। यदि ऐसा किया जाता है तो यह सी0एन0टी0 कानून का उल्लंघन माना जाएगा।

आदेश की प्रतिलिपि उभय पक्षकारों एवं संबंधित राजस्व कर्मी को उपलब्ध करायें।

लेखापित एवं संशोधित

28.1.23

अंचल अधिकारी,
बालूमाथ।

28.1.23

अंचल अधिकारी,
बालूमाथ।

Digitally signed by Mohammad AFTAB ALAM
Date: 2023.02.13 13:23:48 +05:30
Location: 192.168.188.91

Scanned with CamScanner